उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा अनुभाग–5

संख्या–3285 / 79–5–2011–3(3) / 2011

लखनऊ दिनांक –9, नवम्बर–2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन 1972) की धारा 19 की उपधारा–(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है –

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा *(बारहवाँ संशोधन)* नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा *(बारहवाँ संशोधन)* नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–8 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–8 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम		स्तम्भ– दो एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
शैक्षणिक अर्हतायें 8(1) नियम 5 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अनिवार्य अर्हतायें वही होंगी जैसी प्रत्येक के सामने की गयी है–		शैक्षणिक अर्हतायें 8(1) नियम 5 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अनिवार्य अर्हतायें वही होंगी जैसी प्रत्येक के सामने दी गयी है –	
पद	शैक्षणिक अर्हतायें	पद	शैक्षणिक अर्हतायें
एक– नर्सरी स्कूल की अध्यापिका	उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अध्यापन प्रमाण पत्र (नर्सरी) या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण अर्हता।	(एक)– नर्सरी स्कूल की अध्यापिकागण	*भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि के साथ–साथ उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अध्यापन प्रमाण पत्र (नर्सरी) या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता*

			परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।
(दो) जूनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिकागण	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी उपाधि के साथ–साथ प्रशिक्षण अर्हता जिसके अन्तर्गत बेसिक अध्यापक प्रमाण पत्र विशिष्ट बेसिक अध्यापक प्रमाण पत्र (बी0टी0सी0) द्विवर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, हिन्दुस्तानी अध्यापक प्रमाण पत्र, जूनियर अध्यापक प्रमाण पत्र, अध्यापन प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी है। परन्तु उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है अनिवार्य अर्हता वही होगी, जो उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विहित थी।	(दो) जूनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिकागण	*भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि के साथ सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ–साथ प्रशिक्षण अर्हता जिसके अन्तर्गत बेसिक अध्यापक प्रमाण पत्र (बी0टी0सी0), द्विवर्षीय बी0टी0सी0 (उर्दू), विशिष्ट बी0टी0सी0 और* ***उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।***
(2)– विज्ञान, गणित, काफ्ट या हिन्दी और उर्दू से भिन्न किसी अन्य भाषा के अध्यापन के लिए नियम–5 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में		(2)– विज्ञान, गणित, काफ्ट या हिन्दी और उर्दू से भिन्न किसी अन्य भाषा के अध्यापन के लिए नियम–5 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में	

निर्दिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार होगी–		निर्दिष्ट पद पर *नियुक्ति* के लिए अभ्यर्थी की अनिवार्य अर्हतायें निम्न प्रकार होगी–	
(एक)–	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसमें यथास्थिति विज्ञान, गणित, काफ्ट या विशिष्ट भाषा एक विषय के रुप में रही हो, और	(एक)–	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसमें यथास्थिति विज्ञान, गणित, काफ्ट या विशिष्ट भाषा एक विषय के रुप में रही हो, और
(दो)–	प्रशिक्षण अर्हता जिसके अन्तर्गत बेसिक अध्यापक प्रमाण पत्र, हिन्दुस्तानी अध्यापक प्रमाण पत्र, जूनियर अध्यापक प्रमाण पत्र, अध्यापन प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	(दो)–	प्रशिक्षण अर्हता जिसके अन्तर्गत बेसिक अध्यापक प्रमाण पत्र, अध्यापन प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और ***उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।***

(तीन) सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका	यथास्थिति जूनियर बेसिक स्कूल के स्थायी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका या सीनियर बेसिक स्कूल के स्थायी सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका के रुप में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव: परन्तु यदि क्र0सं0 (दो) या (तीन) उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो परिषद् द्वारा अनुभव की अवधि में शिथिलता देकर पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।	(तीन) सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका	यथास्थिति जूनियर बेसिक स्कूल के स्थायी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका या सीनियर बेसिक स्कूल के स्थायी सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका के रुप में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव: परन्तु यदि क्र0सं0 (दो) या (तीन) उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो परिषद् द्वारा अनुभव की अवधि में शिथिलता देकर पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।
4– उर्दू भाषा के अध्यापन के लिए नियम–5 के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार होगी–		4– उर्दू भाषा के अध्यापन के लिए नियम–5 के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार होगी–	
(एक)–	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा एक विषय के रुप में उर्दू के साथ. टिप्पणी – कोई अभ्यर्थी जो उर्दू में उपर्युक्त अर्हता नहीं	(एक)–	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा एक विषय के रुप में उर्दू के साथ । टिप्पणी – कोई अभ्यर्थी जो उर्दू में उपर्युक्त अर्हता नहीं रखता है नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि वह उर्दू विषय में

(दो)	रखता है नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि वह उर्दू विषय में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो। सरकार द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए प्रशिक्षण देने के लिए लखनऊ, आगरा, मवाना जिला मेरठ और सकलडीहा जिला चन्दौली में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों में से किसी एक केन्द्र से बेसिक अध्यापक प्रमाणपत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण अर्हता।	(दो)	स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो। सरकार द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए प्रशिक्षण देने के लिए लखनऊ, आगरा, मवाना जिला मेरठ और सकलडीहा जिला चन्दौली में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों में से किसी एक केन्द्र से बेसिक अध्यापक प्रमाणपत्र या *सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण अर्हता या बेसिक अध्यापक प्रमाणपत्र (बी०टी०सी०,), द्विवर्षीय बी०टी०सी० (उर्दू) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण* किया हो।
(5) उर्दू भाषा में प्रवीणता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए नियम–5 के खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) में निर्दिष्ट पदों पर उर्दू माध्यम से अध्यापन के लिए अनिवार्य अर्हता निम्न होगी–		(5) उर्दू भाषा में प्रवीणता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए नियम–5 के खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) में निर्दिष्ट पदों पर उर्दू माध्यम से अध्यापन के लिए अनिवार्य अर्हता निम्न होगी–	
(i)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई उपाधि। उर्दू में प्रवीणता के लिए अर्हता वही होगी	(एक)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई उपाधि। उर्दू में प्रवीणता के लिए अर्हता वही होगी जो राज्य सरकार

	जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाये।		द्वारा समय–समय पर विहित की जाये।
(ii)	द्विवर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अर्हता।	(दो)	द्विवर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अर्हता और *उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।*

नियम 14 का संशोधन : 3 – उक्त नियमावली के नीचे स्तम्भ –एक में दिये गये नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा। अर्थात : –

स्तम्भ एक विद्यमान नियम	स्तम्भ दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
14 रिक्तियों का अवधारण और सूची का तैयार किया जाना (1) नियम 5 के खण्ड (क) के अधीन नर्सरी स्कूलों की अध्यापिका और जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या और नियम 9 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनु0 जनजातियों, पिछडे वर्गो के अभ्यर्थियों *स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों* और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और रिक्तियों को सेवायोजन कार्यालय को और कम से कम 2 समाचार पत्रों में जिनका राज्य के साथ ही साथ सम्बन्धित	**14 रिक्तियों का अवधारण और सूची का तैयार किया जाना (1) नियम 5 के खण्ड (क) के अधीन नर्सरी स्कूलों की अध्यापिका और जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या और नियम 9 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के**

जिलें में पर्याप्त प्रचलन हो अधिसूचित कर सम्बन्धित जिले से विहित प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। (2)– नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन पत्रों और सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थियों के नामेा की संवीक्षा करेगा और ऐसे व्यक्तियों की जो विहित शैक्षिक अर्हताए रखते हो और नियुक्ति के लिए पात्र प्रतीत हो एक सूची तैयार करेगा। (3)– संभागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पर और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जाएगें यह निर्देश दे सकता है कि उसका नाम उप नियम (2) के अधीन तैयार सूची के अंत में सम्मिलित किया जाए। (4)–. उपनियम (2) के अधीन तैयार की गयी सूची में अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार रखे जायेगें कि उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समय से पहले उत्तीर्ण कर लिया हो उनके ऊपर रखा जायेगा जिन्होने उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बाद में उत्तीर्ण किया हो और किसी विशिष्ट वर्ष में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के नाम परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता अंकों के अनुसार रखे जायेगें। (5)– कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक उसका नाम उपनियम (2) के अधीन तैयार सूची में सम्मिलित न हो। (6)– उपनियम (2) के अधीन तैयार की गयी और उपनियम (4) के अनुसार क्रमबद्ध की गयी सूची नियुक्त प्राधिकारी द्वारा चयन समिति को अग्रसारित की जायेगी।	**लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और रिक्तियों को कम से कम 2 प्रमुख समाचार पत्रों में जिनका राज्य के साथ ही साथ सम्बन्धित जिलें मे पर्याप्त प्रचलन हो अधिसूचित कर सम्बन्धित जिले से विहित प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले *अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।* (2)– नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन पत्रों से अभ्यर्थियों के नामेा की संवीक्षा करेगा और ऐसे व्यक्तियों की जो विहित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताए रखते हो, और नियुक्ति के लिए पात्र प्रतीत हो एक सूची तैयार करेगा। (3) उप नियम (2) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थियों के नाम अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में रखा जायेगा । परन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने समान**

	अंक प्राप्त किया हो, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को उच्चतर रखा जायेगा। (4)– कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक उसका नाम उपनियम–(2) के अधीन तैयार सूची में सम्मिलित न हो। (5)– उपनियम–(2) के अधीन तैयार की गयी और उपनियम–(3) के अनुसार क्रमबद्ध की गयी सूची नियुक्त प्राधिकारी द्वारा चयन समिति को अग्रसारित की जायेगी।

नियम 27 का संशोधन – 4– उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये नियम– 27 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात:–

स्तम्भ एक विद्यमान नियम	स्तम्भ दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
अध्यापकों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कर्तव्यः– दक्षतारोध पार करने का मानदण्डः– 27 – किसी अध्यापक को – (क) प्रथम दक्षतारोध पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक	अध्यापकों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कर्तव्यः– 27 – किसी अध्यापक को – *(क) विद्यालय में नियमितता बनाये रखने और समय से उपस्थिति, नियमित अध्यापन विद्यार्थियों के लेखन कार्य का नियमित शुद्धिकरण तथा विनिर्दिष्ट समय*

उसे अपनी सर्वोत्तम योग्यता से निरन्तर कार्य करता हुआ न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये : और (ख) द्वितीय दक्षतारोध पार करने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब तक कि उसकी सेवा का अभिलेख सुसंगत अच्छा न रहा हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये ।	*के भीतर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करने के संबंध में संबंधित स्थानीय प्राधिकारी और विद्यालय प्रबन्ध समिति के प्रति उत्तरदायी होगा ।* *(ख) विद्यालय में प्रत्येक बालक की नियमित उपस्थिति, सीखने की क्षमता तथा प्रगति का मानीटर करके, नियमित आधार पर माता–पिता के साथ छात्रों के सम्वर्धन में सहभागिता करेगा ।* *(ग) जब अपेक्षा की जाए, तब विद्यालय प्रबन्ध समिति के क्रियाकलापों के प्रबन्धन में सहयोग करेगा ।* *(घ) स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में समस्त बालकों के विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थानीय प्राधिकारी की यथा अपेक्षित सहायता करेगा ।* *(ङ) बालकों के ज्ञान की समझ और उसका या उसकी योग्यता उसी प्रकार लागू करेगा तथा सतत् मूल्यांकन हेतु प्रत्येक बालक के शिक्षा संबंधी अभिलेखयुक्त फाइल अनुरक्षित रखेगा तथा जिसके आधार पर पूर्णता का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।* *(च) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेगा, पाठ्य संरचना एवं पाठ्य विवरण का विकास, प्रशिक्षण माड्यूल तथा पाठ्यपुस्तकों के विकास में भाग लेगा ।* *(छ) विद्यालय के आन्तरिक एवं वाह्य मूल्यांकन के स्वप्रेरणों में सहयोग करेगा ।*

नियम 29 का संशोधन – 6– उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये नियम– 29 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे,अर्थात–

स्तम्भ एक विद्यमान नियम	स्तम्भ दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अधिवर्षिता की आयु	
29— प्रत्येक अध्यापक उस मास के, जिसमें उसने अपनी आयु के 60 वर्ष पूरे कर लिये हों, अन्तिम दिन के अपरान्ह से सेवा–निवृत्त होगा । परन्तु यदि कोई अध्यापक किसी शैक्षणिक सत्र (पहली जुलाई से तीस जून तक) के दौरान सेवा–निवृत्ति होता हो तो वह शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात 30 जून तक कार्य करता रहेगा और ऐसी सेवा अवधि को नियोजन में बढ़ाई गयी अवधि समझा जायेगा ।	*29— प्रत्येक अध्यापक उस मास के, जिसमें उसने अपनी आयु के 62 वर्ष पूरे कर लिये हों, अन्तिम दिन के अपरान्ह से सेवा–निवृत्त होगा ।* परन्तु यदि कोई अध्यापक जो किसी शैक्षणिक सत्र के दौरान सेवा–निवृत्ति होता है जो अध्यापक के रूप में 30 जून को सेवा निवृत्त नहीं होता, सेवा निवृत्त के दिनांक के पश्चात अगले 30 जून तक कार्य करता रहेगा और सेवा की ऐसी अवधि नियोजन की बढ़ाई गयी अवधि समझी जायेगी ।

9/11/11

(अनिल संत)
सचिव ।

File adhimiya 2 basic parist

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3285/79-5-2011-3(3)/2011 dated November 09, 2011:

UTTAR PRADESH SHASAN

SHIKSHA ANUBHAG – 5

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. 3285/79-5-2011-3(3)/2011

Dated Lucknow November 09, 2011

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 19 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, UP Act no. 34 of 1972 the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 :

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (TEACHERS) SERVICE (TWELFTH AMENDMENT) RULES, 2011

Short title and commencement.-	(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service(Twelfth Amendment) Rules, 2011.

	(2)They shall come into force at once.
Amendment of rule 8	2. In the Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 hereinafter, referred to as the said rules for the existing rule 8 set out in column 1 below, the rule as set out in column II shall be substituted, namely:-

2- In the said rules for rules 8 set out in Column-I below the rules as set out in column II shall be substituted namely:	
Column-I Existing rule	**Column II** **Rule as hereby substituted**

Academic Qualifications 8. – (1) The essential qualifications of candidates for appointment to a post referred to in clause (a) of rule 5 shall be as shown below against each :-	**Academic Qualifications 8.** – (1) The essential qualifications of candidates for appointment to a post referred to in clause (a) of rule 5 shall be as shown below against each :-

Post	Academic qualifications	Post	Academic qualifications
(i) Mistresses of Nursery School	Certificate of Teaching (Nursery) from a recognized Training Institution in Uttar Pradesh or any other training qualification recognised by the Government as equivalent thereto.	(i) Mistresses of Nursery School	*Bachelors degree from a University established by law in India or a degree recognised by the Government as equivalent thereto together with Certificate of teaching(Nursery) from recognized training institution of*

			Uttar Pradesh or any other training course recognised by the Government as equivalent thereto and have passed teacher eligibility test conducted by the Government of Uttar Pradesh.
(ii) Assistant Master and Assistant Mistresses of Junior Basic Schools	A Bachelor's Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto together with the training qualification consisting of a Basic Teacher's Certificate, Vishist Basic Teacher's Certificate (B.T.C.) two years B.T.C. Urdu Speacial Training Course, Hindustani Teacher's Certificate, Junior	(ii) Assistant Master and Assistant Mistresses of Junior Basic Schools	*Bachelors degree from a University established by law in India or a degree recognised by the Government as equivalent thereto together with any other training course recognised by the Government as equivalent thereto together with the training qualification consisting of a Basic Teacher's Certificate (BTC),two years BTC (Urdu) Vishisht BTC*

	Teacher's Certificate, Certificate of Teaching or any other Training Course recognised by the Government as equivalent thereto: Provided that the essential qualification for a candidate who has passed the required training course shall be the same which was prescribed for admission to the said training course.		*and have passed teacher eligibility test conducted by the Government of Uttar Pradesh.*

(2) The essential qualifications of candidates for appointment to a post referred to in sub-clauses (iii) and	(2) The essential qualifications of candidates for appointment to a post referred to in sub-clauses (iii)

(iv) of clause (b) of rule 5 for teaching Science, Mathematics, Craft or any language other than Hindi and Urdu shall be as follows :-		and (iv) of clause (b) of rule 5 for teaching Science, Mathematics, Craft or any language other than Hindi and Urdu shall be as follows :-	
(i)A Bachelor's Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto with Science, Mathematics, Craft or particular language, as the case may be, as one of the subjects, and		(i)A Bachelor's Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto with Science, Mathematics, Craft or particular language, as the case may be, as one of the subjects, and	
(ii)Training qualification consisting of a Basic Teacher's Certificate, Hindustani Teacher's Certificate, Junior Teacher's Certificate, Certificate of Teaching or any other Training Course recognised by the Government as equivalent thereto.		(ii)Training qualification consisting of a Basic Teacher's Certificate, Certificate of Teaching or any other Training Course recognised by the Government as equivalent thereto and have passed Teacher Eligibity Test conducted by the Government of Uttar Pradesh.	
(iii) Headmaster or	At least three years'	(iii) Headmaster or	At least three years'

Headmistress for Senior Basic School.	experience as permanent Headmaster or Headmistress of Junior Basic School or permanent Assistant Master or Assistant Mistress of Senior Basic School, as the case may be : Provided that if sufficient number of suitable or eligible candidates are not available for promotion to the posts mentioned at serial numbers (ii) and (iii), the field of eligibility may be extended by the	Headmistress for Senior Basic School.	experience as permanent Headmaster or Headmistress of Junior Basic School or permanent Assistant Master or Assistant Mistress of Senior Basic School, as the case may be : Provided that if sufficient number of suitable or eligible candidates are not available for promotion to the posts mentioned at serial numbers (ii) or (iii), the field of eligibility may

	Board by giving relaxation in the period of experience.		be extended by the Board by giving relaxation in the period of experience.

(4) The essential qualification of candidates for appointment to the posts referred to in clause (a) and sub-clauses (iii) and (iv) of clause(b)of rule 5 for teaching Urdu Language shall be as follows :-	(4) The essential qualification of candidates for appointment to the posts referred to in clause (a) and sub-clauses (iii) and (iv) of clause(b) of rule 5 for teaching Urdu Language shall be as follows :-
(i) A Bachelor's Degree from a University established by Law in India or a degree recognised by the Government as equivalent thereto with Urdu as one of the subjects. Note.- A candidate who does not possess the aforesaid qualification in Urdu, shall be eligible for	(i) A Bachelor's Degree from a University established by Law in India or a degree recognised by the Government as equivalent thereto with Urdu as one of the subjects. Note - A candidate who does not possess the aforesaid qualification in Urdu, shall be eligible for appointment, if he possesses a Master's Degree in Urdu.

appointment, if he possesses a Master's Degree in Urdu.	
(ii) Basic Teacher's Certificate from any of the training centers in Lucknow, Agra, Mawana in district Meerut and Sakaldiha in district Chandauli established by the Government for imparting training for teaching Urdu or any other training qualification recognised by the Government as equivalent thereto.	(ii) Basic Teacher's Certificate from any of the training centers in Lucknow, Agra, Mawana in district Meerut and Sakaldiha in district Chandauli established by the Government for imparting training for teaching Urdu or any other training qualification recognised by the Government as equivalent thereto or *Basic Teacher's Certificate (BTC),two years BTC (Urdu) and have passed teacher eligibility test, conducted by Government of Uttar Pradesh.*

5.The essential qualifications of candidates having proficiency in Urdu for appointment to the posts referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of Rule 5 for teaching in Urdu medium shall	5.The essential qualifications of candidates having proficiencyin Urdu for appointment to the posts referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of Rule 5 for teaching in Urdu medium shall be as follows:-

be as follows:-	
(i) A Bachelor's Degree from a University established by Law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto. The qualifications for proficiency in Urdu will be such as may be prescribed from time to time by the Government.	(i) A Bachelor's Degree from a University established by Law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto. The qualifications for proficiency in Urdu will be such as may be prescribed from time to time by the Government.
(ii) Training qualification of two years B.T.C. Urdu special training course.	(ii) Training qualification of two years B.T.C. Urdu special training course and have passed *teacher eligibility test, conducted by Government of Uttar Pradesh.*

Amendment of Rule 14	**3- In the said rules for rules 14 set out in Column-I below the rule as set out in column II shall be substituted namely:**

Column-I	Column II
Existing rule	Rule as hereby substituted

Determination of vacancies and preparation of list:-

14. Determination of vacancies and preparation of list (1) In respect of appointment by direct recruitment to the post of Mistress of Nursery Schools and Assistant Master or Assistant Mistress of Junior Basic Schools under clause (a) of rule 5, the appointing authority shall determine the number of vacancies as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Dependent of freedom fighters and other categories under rule 9 and notify the vacancies to the Employment Exchange and at least two news papers having adequate circulation in the State as well as in the concerned district inviting applications from candidates possessing	**14. Determination of vacancies and preparation of list** (1) In respect of appointment, by direct recruitment to the post of Mistress of Nursery Schools and Assistant Master or Assistant Mistress of Junior Basic Schools under clause (a) of rule 5, the appointing authority shall determine the number of vacancies as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories under rule 9 and notify the vacancies in at least two leading news papers having adequate circulation in the State as well as in concerned district inviting applications from candidates possessing prescribed training qualification from the district

prescribed training qualification from the district concerned.	concerned and who have passed *teacher eligibility test, conducted by Government of Uttar Pradesh.*
(2) The appointing authority shall scrutinize the applications received in pursuance of the advertisement and the names of candidates received from the Employment Exchange and prepare a list of such persons as appear to possess the prescribed academic qualifications and be eligible for appointment.	(2) The appointing authority shall scrutinize the applications received in pursuance of the advertisement and prepare a list of such persons as appear to possess the prescribed academic qualifications and be eligible for appointment.
(3)The Regional Assistant Director of Education (Basic) may, on the application of a candidate, and for reasons to be recorded, direct that his name be included at the bottom of the list prepared under sub-rule (2).	
(4) The names of candidates in the list prepared under sub-rule (2) shall then be arranged in such manner that the candidate who have passed the required training course earlier in point of time shall be placed higher than those who have passed the said training course later	(3) The names of candidates in the list prepared under sub-rule (2) shall then be arranged in such manner that their names shall be placed in descending order on the basis of the marks obtained in Teacher Eligibility Test conducted by the Government of Uttar Pradesh.

and the candidates who have passed the training course in a particular year shall be arranged in accordance with the quality points specified in the Appendix.	Provided that if two or more candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher.
(5) No person shall be eligible for appointment unless his or her name is included in the list prepared under sub-rule (2).	(4) No person shall be eligible for appointment unless his or her name is included in the list prepared under sub-rule (2).
(6) The list prepared under sub-rule (2) and arranged in accordance with sub-rule (4) shall be forwarded by the appointing authority to the selection committee.	(5) The list prepared under sub-rule (2) and arranged in accordance with sub-rule (3) shall be forwarded by the appointing authority to the selection committee.

Amendment of Rule 27	**4- In the said rules for rule 27 set out in Column1 below the rules as set out in column II shall be substituted namely:**

Column1 Existing rule	**Column II** **Rule as hereby substituted**

Duties to be performed by Teachers:-

Criterion for crossing efficiency bar	*Duties to be performed by Teachers*
27. No teacher shall be allowed to cross- (a)the first efficiency bar unless he is found to have worked steadily to the best of his ability and his integrity is certified; and (b) the second efficiency bar, unless he has a consistently good record of service and his integrity is certified.	*27. A teacher shall :* *(a)be accountable to respective local authority and School Management Committee in regard to maintaining regularity and punctuality in attending school, regular teaching, regular correction of the written work of the students and completion of entire curriculum within the specific time;* *(b) monitor the regular attendance, learning ability and progress of every child in school thereof, share students' performance with parents on a regular basis;* *(c) cooperate in managing the affairs of School Management Committee, when required;* *(d) help the local authority for admission of all children in school, as required, within the jurisdiction of local authority;*

	(e) maintain a file containing the pupil cumulative record for every child to check child's understanding of knowledge and his or her ability to apply the same and for continuous evaluation, and on the basis of which shall award the completion certificate. *(f) participate in training programmes, participation in curriculum formulation, and development of syllabi, training modules and textbook development.* *(g) cooperate in internal and external school assessment initiatives.*
Amendment of Rule 29	**5- In the said rules for rule 29 set out in Column1 below the rules as set out in column II shall be substituted namely:**

Column1 Existing rule	**Column II** **Rule as hereby substituted**

Age of superannuation:-

29. Every teacher shall retire in the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years: Provided that a teacher who retires during an academic session July 1 to June 30 shall continue to work till the end of the academic session this is, June 30 and such period of service will be deemed as extended provide of employment.	29. Every teacher shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of *sixty two* years: Provided that a teacher who retires during an academic session, not being a teacher retiring on June 30, shall continue to work till June 30, following next after the date of retirement, and such period of service shall be deemed as extended period of employment.

(Anil Sant)
Secretary